कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला पन्ना (म0प्र0)

पन्ना, दिनांक 02/03/2016

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 भोपाल शुक्रवार दिनांक 05 फरवरी 2016 एवं आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र क्र0 7–ठेका/2016–17/69 कैम्प भोपाल, दिनांक 08.02.2016 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारो की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार अनुमोदित व्यवस्था एवं वैद्यानिक प्रावधानो के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि पन्ना जिले में टेण्डर द्वारा निष्पादन से शेष रही 20 देशी मदिरा एवं 09 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें जो कुल 10 एकल समूहों में है, का 2016–17 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017, तक की अवधि के लिये निश्चित आरक्षित मूल्य पर सील्ड टेण्डर आमंत्रित कर कलेक्टर पन्ना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा दिनांक 11.03.2016 को अपरान्ह 14:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जायेगा। निष्पादन की शर्तो एवं प्रक्रिया संबंधी मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 73 भोपाल, दिनांक 05 फरवरी 2016 को वेबसाइट WWW.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।

दिनांक 01.03.2016 को निष्पादन से शेष रही जिले की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों (10 समूहों) पर टेण्डर आमंत्रित किये जावेंगे। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानो के आवेदको के लिए विभाग द्वारा टेण्डर प्रपत्र का मूल्य नगरपालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकानो के लिए 10000/– रूपये तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकानों के लिए रूपये 5000/– है। निर्धारित मूल्य के टेण्डर प्रपत्र नगद भुगतान अथवा जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैकर्स चैक के माध्यम से भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसी मदिरा दुकानो का विवरण मादक द्रव्यो की खपत, आरक्षित मूल्य, बेसिक लायेंसस फीस, वार्षिक लायसेंस फीस, एवं ड्यूटी दरो तथा संबंधित नियमो आदि की जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी पन्ना से कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनो सहित) प्राप्त की जा सकती हैं। वर्ष 2016–17 के लिए पन्ना जिले की 20 देशी मदिरा एवं 09 विदेशी मदिरा दुकानों के (10) समूहों के फुटकर लायसेंसो का टेण्डर द्वारा निष्पादन का विवरण निम्नानुसार हैं।

टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यक्रम		
1	टेण्डर प्रपत्र विक्रय का स्थान, तिथि व समय	राज्य के किसी भी जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से राज्य की संपूर्ण मदिरा दुकानों/एकल समूहों के अंतिम निष्पादन होने तक कार्यालय समय अर्थात प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे।
2	भरे हुए टेण्डर प्रपत्र जमा करने का स्थान तिथि व समय।	आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 09 मार्च 2016 की 13:00 बजे (दोपहर के 1:00 बजे) तक ।
		संभागीय उपायुक्त आबकारी सागर के कार्यालय में दिनांक 10 मार्च 2016 की 13:00 बजे (दोपहर के 1:00 बजे) तक।
		जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय में दिनांक 11.03.2016 को दोपहर 13:00 बजे (दोपहर के 1:00 बजे) तक।
3	प्राप्त टेण्डर प्रपत्रो को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, तिथि व समय।	कलेक्ट्रेट पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 11 मार्च 2016 दिन शुक्रवार को दोपहर 14:00 बजे (दोपहर के 2:00 बजे) से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

1.3.16

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0क्र0 / 431 / आब / ठेका / 2016–17 पन्ना दिनांक 02/03/2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय म0प्र0 शासन जन सम्पर्क संपर्क भवन, वाणगंगा रोड भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र, 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी जिला .... की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ...., जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) पन्ना की ओर जिले की वेबसाईड में अपलोड करें।
11. सहायक संचालक जन सम्पर्क पन्ना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
12. सहायक जिला आबकारी अधिकारी पन्ना उपरोक्त विज्ञप्ति (निष्पादन योग्य एकल समूहों की सूची सहित) का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना, अजयगढ, एवं पवई की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
14. मद्यभांडागार अधिकारी पन्ना / अमानगंज की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

कलेक्टर

जिला पन्ना (म0प्र0)